

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

(1.) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18363/2019

श्याम सुंदर खंडेलवाल पुत्र स्वर्गीय दामोदर लाल खंडेलवाल, आयु लगभग 72 वर्ष,
निवासी आर-1, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 2 जयपुर, आयकर, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग,
भगवान दास रोड, जयपुर, राजस्थान 302005।

----प्रतिवादी

जुड़े हुए मामले

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 25348/2018

अंकुर इलेक्ट्रिकल्स एलएलपी, ए-27/13ए अक्षत हाउस, कांति चंद्र रोड, बनी पार्क,
जयपुर 302016 अपने पार्टनर सिद्धार्थ सरावागी, पुत्र कमल कुमार सरावागी, आयु
लगभग 35 वर्ष, निवासी फ्लैट नंबर 402-403, अक्षत रेजिडेंसी, भृगु मार्ग, बनी पार्क के
माध्यम से ।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल 2 जयपुर, आयकर, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग,
भगवान दास रोड, जयपुर, राजस्थान 302005।

2. उप आयकर आयुक्त, सर्कल 2, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1035/2019

चंद्र प्रकाश अग्रोया, पुत्र स्वर्गीय श्री बंसी लाल अग्रोया, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी
डी-46-बी, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, वार्ड 1 (4), न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग (एनेक्सी), जनपथ, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11519/2019

अंकुर इलेक्ट्रिकल्स एलएलपी, ए-27/13ए अक्षत हाउस, कांति चंद्र रोड, बनी पार्क, जयपुर 302016 अपने पार्टनर सिद्धार्थ सरावागी, पुत्र कमल कुमार सरावागी, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी फ्लैट नंबर 402-403, अक्षत रेजिडेंसी, भृगुमार्ग, बनीपार्क।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल-2 जयपुर, आयकर, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर, राजस्थान 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15044/2019

प्रदीप मित्तल, पुत्र श्री आनंद शंकर मित्तल, आयु लगभग 59 वर्ष, पता फर्स्ट फ्लोर, धमानी मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर 302002 राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल 1, जयपुर, पता न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल, भगवान दास रोड, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19895/2019

विमल चंद सुराना पुत्र स्वर्गीय श्री राजमल सुराना, आयु लगभग 83 वर्ष, बी-7, सुराना एन्क्लेव, राम सिंह रोड, एस.एम.एस. अस्पताल के सामने, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त सेंट्रल सर्कल-2, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20580/2019

निशित गुप्ता पुत्र श्री रमेश चंद गुप्ता, पता डॉल्फिन जेम्स, बी-73, जनता कॉलोनी, जयपुर 302004 राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, वार्ड 5(2), जयपुर, पता न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल, भगवान दास रोड, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1374/2020

स्वर्गीय प्रेम चंद धंधिया, कानूनी वारिस श्रीमती इंदिरा कुमारी धंधिया के माध्यम से, आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी सी-56, महावीर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. आयकर अधिकारी वार्ड 2(1), जयपुर, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

2. आयकर अधिकारी वार्ड 6(2), जयपुर, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3350/2021

श्याम सुंदर खंडेलवाल पुत्र स्वर्गीय दामोदर लाल खंडेलवाल, आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी आर-1, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4 जयपुर, आयकर, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर, राजस्थान 302005

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8767/2021

प्रदीप मित्तल पुत्र श्री आनंद शंकर मित्तल, आयु लगभग 61 वर्ष, पता फर्स्ट फ्लोर, धमानी मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर 302002 राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल, भगवान दास रोड, सी-स्कीम, जयपुर, वर्तमान में कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12516/2021

गणपत सिंह करनावत (वरिष्ठ नागरिक) पुत्र श्री फतेह सिंह करनावत, आयु लगभग 78 वर्ष, निवासी 4812, करनावत भवन, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर 302003।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 180/2022

नितिन धंधिया पुत्र श्री विनय चंद धंधिया, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी 04, गोविंद मार्ग, मोती इंगरी रोड, जयपुर, 302004 राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-IV, जयपुर (राजस्थान)
2. प्रधान आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, (राजस्थान)

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 182/2022

नितिन धंधिया पुत्र श्री विनय चंद धंधिया, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी 04, गोविंद मार्ग, मोती इंगरी रोड, जयपुर, 302004 (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-IV, जयपुर, (राजस्थान)।
2. प्रधान आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, (राजस्थान)।

-----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 183/2022

नितिन धंधिया पुत्र श्री विनय चंद धंधिया, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी 04, गोविंद मार्ग, मोती इंगरी रोड, जयपुर, 302004 (राजस्थान)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-IV, जयपुर, (राजस्थान)।
2. प्रधान आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, (राजस्थान)।

-----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 342/2022

श्याम सुंदर खंडेलवाल पुत्र स्वर्गीय दामोदर लाल खंडेलवाल, आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी आर-1, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4 जयपुर, आयकर, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर, राजस्थान 302005।

-----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 645/2022

अंकुर इलेक्ट्रिकल्स एलएलपी, ए-24/13ए अक्षत हाउस, कांति चंद्र रोड, बनी पार्क, जयपुर 302016, अपने पार्टनर, पदम चंद जैन के माध्यम से, पुत्र श्री कपूर चंद जैन, आयु 61 वर्ष, निवासी ए-24-25, वन विहार कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर- 302018।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4 जयपुर, आयकर, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर, राजस्थान 302005।

-----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 690/2022

अंकुर इलेक्ट्रिकल्स एलएलपी, ए-27/13 ए अक्षत हाउस, कांति चंद्र रोड, बनी पार्क, जयपुर 302016, अपने पार्टनर पदम चंद जैन के माध्यम से, पुत्र श्री कपूर चंद जैन, आयु 61 वर्ष, निवासी ए- 24-25, वन विहार कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर - 302018।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4 जयपुर, आयकर, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर, राजस्थान 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 697/2022

अंकुर इलेक्ट्रिकल्स एलएलपी, ए-27/13 ए अक्षत हाउस, कांति चंद्र रोड, बनी पार्क, जयपुर 302016, अपने पार्टनर पदम चंद जैन के माध्यम से, पुत्र श्री कपूर चंद जैन, आयु 61 वर्ष, निवासी ए-24-25, वन विहार कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर-302018।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, जयपुर, आयकर, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर, राजस्थान 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1140/2022

स्वर्गीय प्रकाश राज भंसाली पुत्र स्वर्गीय श्री पारस राज भंसाली, अपनी पत्नी और कानूनी वारिस श्रीमती अनीता भंसाली के माध्यम से, निवासी ए-60, शांति पथ, तिलक नगर, जयपुर 302004, पहले जे/10-230, आदर्श नगर, मोती इंगरी रोड, जयपुर 302004 में।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल- 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1175/2022

स्वर्गीय प्रकाश राज भंसाली पुत्र स्वर्गीय श्री पारस राज भंसाली, अपनी पत्नी और कानूनी वारिस श्रीमती अनीता भंसाली के माध्यम से, निवासी ए-60, शांति पथ, तिलक नगर, जयपुर 302004, पहले जे/10-230, आदर्श नगर, मोती इंगरी रोड, जयपुर 302004 में।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1176/2022

स्वर्गीय प्रकाश राज भंसाली पुत्र स्वर्गीय श्री पारस राज भंसाली, अपनी पत्नी और कानूनी वारिस श्रीमती अनीता भंसाली के माध्यम से, निवासी ए-60, शांति पथ, तिलक नगर, जयपुर 302004, पहले जे/10-230, आदर्श नगर, मोती इंगरी रोड, जयपुर 302004 में।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1177/2022

स्वर्गीय प्रकाश राज भंसाली पुत्र स्वर्गीय श्री पारस राज भंसाली, अपनी पत्नी और कानूनी वारिस श्रीमती अनीता भंसाली के माध्यम से, निवासी ए-60, शांति पथ, तिलक नगर, जयपुर 302004, पहले जे/10-230, आदर्श नगर, मोती इंगरी रोड, जयपुर 302004 में।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2206/2022

राम किशन रावत पुत्र श्री बद्री नारायण रावत, निवासी के-2, केशव पथ, अहिंसा सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर 302001।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2249/2022

विपिन तोतला पुत्र श्री बाबू लाल तोतला, पता 1, सोमानी बिल्डिंग, लोहा मंडी, एस.सी. लिंक रोड, जयपुर, राजस्थान, भारत- 302001।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 44, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान, भारत

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2250/2022

विपिन तोतला पुत्र श्री बाबू लाल तोतला, पता 1, सोमानी बिल्डिंग, लोहा मंडी, एस.सी. लिंक रोड, जयपुर, राजस्थान, भारत- 302001।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 44, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान, भारत

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2312/2022

गणपत सिंह करनावत पुत्र श्री फतेह सिंह करनावत, निवासी 4812, करनावत भवन, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर 302003।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2313/2022

गणपत सिंह करनावत पुत्र श्री फतेह सिंह करनावत, निवासी 4812, करनावत भवन,
के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर 302003।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल,
जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2314/2022

गणपत सिंह करनावत पुत्र श्री फतेह सिंह करनावत, निवासी 4812, करनावत भवन,
के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर 302003।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल,
जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2334/2022

मनोज कुमार धंधिया पुत्र स्वर्गीय श्री मेहर चंद धंधिया, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी
3958, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर 302003।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4 जयपुर, आयकर, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग,
भगवान दास रोड, जयपुर, राजस्थान 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2371/2022

मनोज कुमार धंधिया पुत्र स्वर्गीय श्री मेहर चंद धंधिया, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी
3958, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर 302003।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4 जयपुर, आयकर, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग,
भगवान दास रोड, जयपुर, राजस्थान 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2372/2022

मनोज कुमार धंधिया पुत्र स्वर्गीय श्री मेहर चंद धंधिया, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी
3958, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर 302003।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4 जयपुर, आयकर, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग,
भगवान दास रोड, जयपुर, राजस्थान 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2386/2022

महेंद्र वर्मा पुत्र स्वर्गीय कन्हैयालाल वर्मा, आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी ए-207-208,
नगर रेजिडेंसी, रंगटा हॉस्पिटल के पास, मालवीय नगर, जयपुर 302017।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4 जयपुर, आयकर, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग,
भगवान दास रोड, जयपुर, राजस्थान 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2387/2022

महेंद्र वर्मा पुत्र स्वर्गीय कन्हैयालाल वर्मा, आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी ए-207-208,
नगर रेजिडेंसी, रंगटा हॉस्पिटल के पास, मालवीय नगर, जयपुर 302017।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4 जयपुर, आयकर, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग,
भगवान दास रोड, जयपुर, राजस्थान 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2388/2022

महेंद्र वर्मा पुत्र स्वर्गीय कन्हैयालाल वर्मा, आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी ए-207-208, नगर रेजिडेंसी, रंगटा हॉस्पिटल के पास, मालवीय नगर, जयपुर 302017।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4 जयपुर, आयकर, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर, राजस्थान 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2391/2022

स्वर्गीय प्रेम चंद धंधिया, आयु लगभग 74 वर्ष, कानूनी वारिस श्रीमती इंदिरा कुमारी धंधिया के माध्यम से, आयु लगभग 74 वर्ष, निवासी सी-56 महावीर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल - 4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2490/2022

प्रदीप मित्तल पुत्र श्री आनंद शंकर मित्तल, निवासी फर्स्ट फ्लोर, धमानी मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर 302002

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2609/2022

गोपाल कृष्ण माहेश्वरी पुत्र स्वर्गीय श्री राम किशन माहेश्वरी, बी-98, यूनिवर्सिटी मार्ग,
बापू नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड,
जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2610/2022

गिरधर गोपाल मूंदड़ा, पुत्र स्वर्गीय श्री गोपी कृष्ण मूंदड़ा, 104-107, अनुकम्पा II,
एम.आई. रोड, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड,
जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2611/2022

गोपाल कृष्ण माहेश्वरी, पुत्र स्वर्गीय श्री राम किशन माहेश्वरी, बी-98, यूनिवर्सिटी मार्ग,
बापू नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड,
जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2612/2022

विमल चंद सुराना पुत्र स्वर्गीय श्री राजमल सुराना, बी-7, सुराना एन्क्लेव, राम सिंह रोड,
एस.एम.एस. हॉस्पिटल के सामने, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

-----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2613/2022

विमल चंद सुराना पुत्र स्वर्गीय श्री राजमल सुराना, बी-7, सुराना एन्क्लेव, राम सिंह रोड, एस.एम.एस. हॉस्पिटल के सामने, जयपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

-----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2614/2022

गिरधर गोपाल मूंदड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री गोपी कृष्ण मूंदड़ा, 104-107, अनुकम्पा II, एम.आई. रोड, जयपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

-----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2637/2022

गोपाल कृष्ण माहेश्वरी, पुत्र स्वर्गीय श्री राम किशन माहेश्वरी, बी-98, यूनिवर्सिटी मार्ग, बापू नगर, जयपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

-----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2646/2022

गिरधर गोपाल मूंदड़ा, पुत्र स्वर्गीय श्री गोपी कृष्ण मूंदड़ा, 104-107, अनुकम्पा II,
एम.आई. रोड, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड,
जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2647/2022

स्वर्गीय प्रेम चंद धंधिया, कानूनी वारिस श्रीमती इंदिरा कुमारी धंधिया, पत्नी स्वर्गीय श्री
प्रेम चंद धंधिया, आयु लगभग 74 वर्ष, निवासी सी-56, महावीर मार्ग, सी-स्कीम,
जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड,
जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3153/2022

कुशल डागा पुत्री श्री लाडू सिंह कोठारी, निवासी 1482, बारह गंगौर का रास्ता, जौहरी
बाजार, जयपुर 302003

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल,
जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3154/2022

कुशल डागा पुत्री श्री लाडू सिंह कोठारी, निवासी 1482, बारह गंगौर का रास्ता, जौहरी
बाजार, जयपुर 302003

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3156/2022

कुशल डागा पुत्री श्री लाडू सिंह कोठारी, निवासी 1482, बारह गंगौर का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर 302003

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3652/2022

बित्थल दास माहेश्वरी पुत्र स्वर्गीय बालकिशन माहेश्वरी, आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी 2032, पितलियों का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर- 302003, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय, सेंट्रल सर्कल-4, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान-302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3658/2022

बित्थल दास माहेश्वरी पुत्र स्वर्गीय बालकिशन माहेश्वरी, आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी 2032, पितलियों का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर- 302003, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय, सेंट्रल सर्कल-4, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान-302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3660/2022

बित्थल दास माहेश्वरी पुत्र स्वर्गीय बालकिशन माहेश्वरी, आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी 2032, पितलियों का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर- 302003, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय, सेंट्रल सर्कल-4, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान-302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3665/2022

वैभव ग्लोबल लिमिटेड, के-6 बी, फतेह टीबा, आदर्श नगर, जयपुर, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री विनीत गनेरीवाला पुत्र श्री रामावतार गनेरीवाला के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3667/2022

वैभव ग्लोबल लिमिटेड, के-6 बी, फतेह टीबा, आदर्श नगर, जयपुर, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री विनीत गनेरीवाला पुत्र श्री रामावतार गनेरीवाला के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3794/2022

प्रमोद जैन पुत्र नंद किशोर जैन, आयु लगभग 59 वर्ष, निवासी डी260, देवी मार्ग बनी पार्क, जयपुर 302016, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल, सेंट्रल सर्कल-4, जयपुर, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर राजस्थान 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3825/2022

प्रमोद जैन पुत्र नंद किशोर जैन, आयु लगभग 59 वर्ष, निवासी डी260, देवी मार्ग बनी पार्क, जयपुर 302016, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल, सेंट्रल सर्कल-4, जयपुर, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर राजस्थान 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3826/2022

नंद किशोर जैन पुत्र स्वर्गीय श्री कपूरचंद जैन, आयु लगभग 83 वर्ष, निवासी डी260, देवी मार्ग, बनी पार्क-302016, जयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, जयपुर, आयकर, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान 302005

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3832/2022

प्रमोद जैन पुत्र नंद किशोर जैन, आयु लगभग 59 वर्ष, निवासी डी260, देवी मार्ग बनी पार्क, जयपुर 302016, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल, सेंट्रल सर्कल-4 जयपुर, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान 302005

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3904/2022

इकबाल सिंह गंभीर पुत्र स्वर्गीय श्री बी.एम. गंभीर, आयु लगभग 79 वर्ष, निवासी एफ-114 बी, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3905/2022

प्रमोद जैन पुत्र नंद किशोर जैन, आयु लगभग 59 वर्ष, निवासी डी260, देवी मार्ग बनी पार्क, जयपुर 302016, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल, सेंट्रल सर्कल-4 जयपुर, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान 302005

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3909/2022

इकबाल सिंह गंभीर पुत्र स्वर्गीय श्री बी.एम. गंभीर, आयु लगभग 79 वर्ष, निवासी एफ-114 बी, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3913/2022

नितिन दूसाद पुत्र भगवान दास जी दूसाद, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी 4300, नाथमाल जी का चौक, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर- 302002, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय, सेंट्रल सर्कल-4, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान - 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3915/2022

राम प्रकाश गंभीर, पुत्र स्वर्गीय श्री भग मल गंभीर, आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी एफ-114 बी, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3918/2022

नितिन दूसाद, पुत्र भगवान दास जी दूसाद, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी 4300, नाथमाल जी का चौक, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर- 302002 राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय, सेंट्रल सर्कल-4, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान - 302005

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3971/2022

मंजू माहेश्वरी पत्नी श्री गोपाल कृष्ण माहेश्वरी, आयु लगभग 73 वर्ष, बी-98, यूनिवर्सिटी मार्ग, बापू नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3972/2022

मंजू माहेश्वरी पत्नी श्री गोपाल कृष्ण माहेश्वरी, आयु लगभग 73 वर्ष, बी-98, यूनिवर्सिटी मार्ग, बापू नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3976/2022

मंजू माहेश्वरी पत्नी श्री गोपाल कृष्ण माहेश्वरी, आयु लगभग 73 वर्ष, बी-98, यूनिवर्सिटी मार्ग, बापू नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3997/2022

राम प्रकाश गंभीर पुत्र स्वर्गीय श्री भग मल गंभीर, आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी एफ-114 बी, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड,
जयपुर।

-----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3998/2022

राजेश कुमार धड्ढा पुत्र श्री ज्ञान चंद धड्ढा, आयु लगभग 56 वर्ष, जेम पैराडाइज,
गुलाब निवास, एम आई रोड, जयपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड,
जयपुर।

-----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3999/2022

राजेश कुमार धड्ढा पुत्र श्री ज्ञान चंद धड्ढा, आयु लगभग 56 वर्ष, जेम पैराडाइज,
गुलाब निवास, एम आई रोड, जयपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड,
जयपुर।

-----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4000/2022

राजेश कुमार धड्ढा पुत्र श्री ज्ञान चंद धड्ढा, आयु लगभग 56 वर्ष, जेम पैराडाइज,
गुलाब निवास, एम आई रोड, जयपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड,
जयपुर।

-----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4037/2022

बल्लभ दास माहेश्वरी पुत्र श्री रूप चंद माहेश्वरी, आयु लगभग 58 वर्ष, पता 4-5, शुभम एन्क्लेव, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर, राजस्थान, भारत- 302001।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान, भारत - 302001।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4039/2022

बल्लभ दास माहेश्वरी पुत्र श्री रूप चंद माहेश्वरी, आयु लगभग 58 वर्ष, पता 4-5, शुभम एन्क्लेव, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर, राजस्थान, भारत- 302001।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान, भारत 302001।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4093/2022

देवेंद्र कुमार टेमानी, पुत्र नंद किशोर टेमानी, आयु लगभग 54 वर्ष, निवासी 313, सूर्या चैंबर, नेहरू बाजार के पास, जयपुर, राजस्थान 302003।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल -4, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान- 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4094/2022

टीकम चंद टेमानी पुत्र नंद किशोर टेमानी, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी 983, राणा हाउस, गोपाल जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, 302003।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल,
जयपुर, राजस्थान-302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4095/2022

टीकम चंद टेमानी, पुत्र नंद किशोर टेमानी, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी 983, राणा
हाउस, गोपाल जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, 302003।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल -4, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल,
जयपुर, राजस्थान- 302005

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4096/2022

तारा चंद गोयल, पुत्र स्वर्गीय सूरज मल गोयल, आयु लगभग 75 वर्ष, निवासी जी-2,
विनोबा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर- 302001

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल -4, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल,
जयपुर, राजस्थान- 302005

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4097/2022

तारा चंद गोयल, पुत्र स्वर्गीय सूरज मल गोयल, आयु लगभग 75 वर्ष, निवासी जी-2,
विनोबा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर- 302001

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल -4, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल,
जयपुर, राजस्थान- 302005

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4098/2022

तारा चंद गोयल, पुत्र स्वर्गीय सूरज मल गोयल, आयु लगभग 75 वर्ष, निवासी जी-2,
विनोबा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर- 302001

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल -4, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल,
जयपुर, राजस्थान- 302005

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4099/2022

टीकम चंद टेमानी, पुत्र नंद किशोर टेमानी, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी 983, राणा
हाउस, गोपाल जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, 302003

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल -4, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल,
जयपुर, राजस्थान- 302005

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4146/2022

लता माहेश्वरी पत्नी श्री बल्लभ दास माहेश्वरी, आयु लगभग 56 वर्ष, और पता सी-21,
चौमू हाउस, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान, भारत - 302001।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल,
जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान, भारत -
302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4323/2022

योगेश कुमार खटोरिया पुत्र श्री राधे श्याम खटोरिया, निवासी 208, खटोरिया भवन,
बालाजी का रास्ता, घाट गेट, जयपुर 302005।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल,
जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4325/2022

योगेश कुमार खटोरिया पुत्र श्री राधे श्याम खटोरिया, निवासी 208, खटोरिया भवन,
बालाजी का रास्ता, घाट गेट, जयपुर 302005।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल,
जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4327/2022

योगेश कुमार खटोरिया पुत्र श्री राधे श्याम खटोरिया, निवासी 208, खटोरिया भवन,
बालाजी का रास्ता, घाट गेट, जयपुर 302005।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल,
जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4402/2022

निशित गुप्ता पुत्र श्री रमेश चंद गुप्ता, निवासी बी-73, जनता कॉलोनी, जयपुर 302004

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल,
जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4403/2022

स्वर्गीय किशन सिंह करनावत, उनके कानूनी वारिस जितेंद्र सिंह करनावत के माध्यम से, पता ए-3, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर 302004।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4443/2022

निशित गुसा पुत्र श्री रमेश चंद गुसा, निवासी बी-73, जनता कॉलोनी, जयपुर 302004।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4481/2022

हर्ष लालवानी पुत्र श्री विमल लालवानी, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी 2-बी, आनंद सागर, भवानी सिंह रोड, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4482/2022

निशित गुसा पुत्र श्री रमेश चंद गुसा, निवासी बी-73, जनता कॉलोनी, जयपुर 302004।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4488/2022

राम किशन रावत पुत्र श्री बद्री नारायण रावत, निवासी के-2, केशव पथ, अहिंसा सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर 302001

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4490/2022

दिनेश कुमार खटोरिया पुत्र स्वर्गीय श्री दामोदर लाल खटोरिया, निवासी 626, बाबा जी का रास्ता, घाट गेट बाजार, जयपुर 302002।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि -II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4525/2022

राम किशन रावत पुत्र श्री बद्री नारायण रावत, निवासी के-2, केशव पथ, अहिंसा सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर 302001।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4527/2022

जितेंद्र कुमार डागा पुत्र श्री विमल चंद डागा, पता 1370, तारा चंद नायब का रास्ता,
जौहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान 302003।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल,
जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4531/2022

गोविंद बागला पुत्र श्री श्याम दास बागला, निवासी 4356, नाथमाल जी का चौक, जौहरी
बाजार, जयपुर 302003

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल,
जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4550/2022

जितेंद्र कुमार डागा पुत्र श्री विमल चंद डागा, पता 1370, तारा चंद नायब का रास्ता,
जौहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान राज्य में 302003

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल,
जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4583/2022

कैलाश चंद हीरावत पुत्र केवल चंद हीरावत, आयु लगभग 83 वर्ष, निवासी 0, 1183,
परतानियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर-302003, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय, सेंट्रल सर्कल-4, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान-302005

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4634/2022

राम किशन रावत पुत्र श्री बद्री नारायण रावत, निवासी के-2, केशव पथ, अहिंसा सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर 302001

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4635/2022

दिनेश कुमार खटोरिया, पुत्र स्वर्गीय श्री दामोदर लाल खटोरिया, निवासी 626, बाबा जी का रास्ता, घाट गेट बाजार, जयपुर 302002

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4640/2022

कैलाश चंद हीरावत पुत्र केवल चंद हीरावत, आयु लगभग 83 वर्ष, निवासी O, 1183, परतानियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर-302003, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय, सेंट्रल सर्कल-4, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान-302005

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4646/2022

कैलाश चंद हीरावत पुत्र केवल चंद हीरावत, आयु लगभग 83 वर्ष, निवासी 0, 1183, परतानियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर 302003, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय, सेंट्रल सर्कल-4, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान-302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4673/2022

बिमला कुमारी हीरावत पत्नी कैलाश चंद हीरावत, आयु लगभग 77 वर्ष, निवासी 0, 1183, परतानियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर- 302003, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय, सेंट्रल सर्कल-4, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान-302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4677/2022

प्रकाश चंद हीरावत, पुत्र स्वर्गीय केवल चंद हीरावत, आयु लगभग 75 वर्ष, निवासी 0, 1183, परतानियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर-302003, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय, सेंट्रल सर्कल-4, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान-302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4678/2022

वैभव ग्लोबल लिमिटेड, के-6 बी, फतेह टीबा, आदर्श नगर, जयपुर, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री विनीत गनेरीवाला पुत्र श्री रामावतार गनेरीवाला के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड,
जयपुर।

-----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4684/2022

प्रकाश चंद हीरावत पुत्र स्वर्गीय केवल चंद हीरावत, आयु लगभग 75 वर्ष, निवासी 0,
1183, परतानियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर 302003, राजस्थान।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय, सेंट्रल सर्कल 4, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल,
जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान - 302005

-----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4685/2022

बिमला कुमारी हीरावत पत्नी कैलाश चंद हीरावत, आयु लगभग 77 वर्ष, निवासी 0,
1183, परतानियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर 302003, राजस्थान।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय, सेंट्रल सर्कल 4, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल,
जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान -
302005।

-----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4728/2022

प्रकाश चंद हीरावत पुत्र स्वर्गीय केवल चंद हीरावत, आयु लगभग 75 वर्ष, निवासी 0,
1183, परतानियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर- 302003, राजस्थान।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त का कार्यालय, सेंट्रल सर्कल-4, कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल,
जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान- 302005

-----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4945/2022

अमित कोटावाला पुत्र श्री भगवान दास अग्रवाल, निवासी प्रोप्राइटर, मैसर्स ऑथेंटिक स्टोन ट्रेडिंग कंपनी, 9, जमुना लाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302001।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4967/2022

पायल बिलाला पुत्री श्री सुरेश लोहड़े, निवासी 5, बिलाला गार्डन, ओल्ड आमेर रोड, सुभाष चौक, जयपुर 302003।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4996/2022

सुदीप बिलाला, पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार बिलाला, निवासी 25, बिलाला गार्डन, ओल्ड आमेर रोड, जयपुर 302002।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4998/2022

निशित गुप्ता पुत्र श्री रमेश चंद गुप्ता, निवासी बी-73, जनता कॉलोनी, जयपुर-302004।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5139/2022

स्वर्गीय श्री किशन सिंह करनावत, उनके कानूनी वारिस श्री जितेंद्र सिंह करनावत के माध्यम से, पता ए-3, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर, राजस्थान राज्य में 302004।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5157/2022

स्वर्गीय श्री किशन सिंह करनावत, उनके कानूनी वारिस श्री जितेंद्र सिंह करनावत के माध्यम से, पता ए-3, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर, राजस्थान राज्य में 302004।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5159/2022

स्वर्गीय श्री किशन सिंह करनावत, उनके कानूनी वारिस श्री जितेंद्र सिंह करनावत के माध्यम से, पता ए-3, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर, राजस्थान राज्य में 302004।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5241/2022

जितेंद्र कुमार डागा पुत्र श्री विमल चंद डागा, पता 1370, तारा चंद नायब का रास्ता,
जौहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान राज्य में 302003

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, जयपुर, पता कमरा नंबर 416, चौथी मंजिल,
जीवन निधि-II, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर 302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12509/2022

प्रशांत गुप्ता पुत्र श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी 301, अनुकम्पा
मेशन-1, एम.आई. रोड, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

उप आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, एन.सी.आर.बिल्डिंग, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12628/2022

राकेश कुमार जैन पुत्र श्री विजय कुमार जैन, आयु लगभग 56 वर्ष, पता 3-एन.ए.-30,
जवाहर नगर, जयपुर, राजस्थान, भारत - 302004।

----याचिकाकर्ता

बनाम

उप आयकर आयुक्त, इंटरनेशनल टैक्स, जयपुर, पता कमरा नंबर 413, चौथी मंजिल,
जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान, भारत -
302005।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12632/2022

राकेश कुमार जैन पुत्र श्री विजय कुमार जैन, आयु लगभग 56 वर्ष, पता 3-एन.ए.-30,
जवाहर नगर, जयपुर, राजस्थान, भारत - 302004।

----याचिकाकर्ता

बनाम

उप आयकर आयुक्त, इंटरनेशनल टैक्स, जयपुर, पता कमरा नंबर 413, चौथी मंजिल,
जीवन निधि-2, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, राजस्थान, भारत -
302005

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13502/2022

विजय कुमार मेहता पुत्र श्री हस्ती चंद मेहता, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी बी-33,
प्रभु मार्ग, तिलक नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, एन.सी.आर बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल,
जयपुर।
2. प्रधान महानिदेशक आयकर (जांच), एन.सी.आर. बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13829/2022

विजय कुमार मेहता, पुत्र श्री हस्ती चंद मेहता, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी बी-33,
प्रभु मार्ग, तिलक नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल 4, एन.सी.आर. बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल,
जयपुर।
2. प्रधान महानिदेशक आयकर (जांच), एन.सी.आर. बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13861/2022

सिद्धार्थ टोडुका पुत्र स्वर्गीय श्री अनिल कुमार टोडुका, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी
1077, नवरत्न अपार्टमेंट्स, चौड़ा रास्ता, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

उप आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-04, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, जनपथ, जयपुर।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15451/2022

श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद गुप्ता, आयु लगभग 73 वर्ष, 301, अनुकम्पा मेशन -1, एम.आई. रोड, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल-4, जयपुर, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।
2. भारत संघ, वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के माध्यम से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 110002।

----प्रतिवादी

(2.) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20306/2019

मेसर्स सोमानी फैब्रिक्स, ए-5, लाल कोठी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, टॉक रोड, जयपुर, अपने पार्टनर श्री गोपाल कृष्ण माहेश्वरी के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल-6, एन.सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री संजय झंवर, वरिष्ठ वकील और श्री प्रकुल खुराना, अधिवक्ता, के साथ श्री रजत शर्मा, अधिवक्ता, श्री आर्यन सिंह चौहान, अधिवक्ता, सुश्री वृंदा लखोटिया, अधिवक्ता। श्री सिद्धार्थ रांका, अधिवक्ता, के साथ सुश्री अपेक्षा बापना, अधिवक्ता, सुश्री शिवांगी मेवाल, अधिवक्ता, श्री रोहन चैटर, अधिवक्ता। श्री गुंजन पाठक, अधिवक्ता, के साथ सुश्री कनिष्क सिंघल, अधिवक्ता, श्री आदित्य बोहरा, अधिवक्ता और सुश्री प्रियांशी रूंगटा, अधिवक्ता। श्री सुरेश कुमार साहनी, अधिवक्ता,

के साथ श्री राम मोहन शर्मा,
अधिवक्ता और श्री सृजन तिवारी,
अधिवक्ता श्री शंकर लाल पोद्दार,
अधिवक्ता, के साथ श्री जगप्रवेश
सिंह, अधिवक्ता। श्री दिलीप शिवपुरी,
अधिवक्ता। श्री कार्तिकेय शर्मा अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से : श्री अनुरूप सिंघी, अधिवक्ता,
श्री संदीप पाठक, अधिवक्ता और
श्री सिद्धार्थ बापना, अधिवक्ता,
के साथ श्री सर्वेश जैन, अधिवक्ता
श्री नरेंद्र सिंह भाटी, अधिवक्ता,
सुश्री कृति कालावतिया, अधिवक्ता,
श्री मेहुल मित्तल, अधिवक्ता,
श्री आदित्य खंडेलवाल, अधिवक्ता।
श्री अनुराग माथुर, अधिवक्ता और
सुश्री भावना लड्डा, अधिवक्ता, श्री शांतनु
शर्मा अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति भुवन गोयल

निर्णय

19/03/2024

- इन याचिकाओं में सामान्य तथ्य और कानून के प्रश्न शामिल हैं और इन पर इस आदेश से निर्णय लिया जा रहा है। सुविधा के लिए, तथ्य प्रमुख मामले डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4677/2022 से लिए जा रहे हैं।
- यह रिट याचिका आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम') की धारा 148 के तहत जारी नोटिस और नोटिस जारी करने पर दायर की गई आपत्तियों को अस्वीकार करने वाले दिनांक 05.03.2022 के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई है।

तथ्य:-

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए याचिकाकर्ता ने 18,76,890/- रुपये की आय घोषित करते हुए आयकर रिटर्न दाखिल किया। दिनांक 30.03.2021 को अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने 07.01.2022 को रिटर्न दाखिल किया और कार्यवाही शुरू करने के कारणों की मांग की। दिनांक 18.02.2022 को कारण बताए गए। 01.03.2022 को दायर की गई आपत्तियों को 05.03.2022 को अस्वीकार कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं के तर्क:-

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने का आधार रमेश मणिहार गुप (इसके बाद 'मणिहार गुप') पर की गई तलाशी के दौरान जब्त की गई सामग्री है, इसलिए कार्यवाही अधिनियम की धारा 153C के तहत शुरू की जानी चाहिए थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के श्री दिनाकरा सुवर्णा बनाम उपायुक्त आयकर के मामले में आयकर अपील संख्या 16/2015 दिनांक 08.07.2022 और बॉम्बे उच्च न्यायालय के मेसर्स अदिति कंस्ट्रक्शंस बनाम उपायुक्त आयकर और अन्य के मामले में रिट याचिका संख्या 783/2016 दिनांक 04.05.2023 के निर्णयों पर भरोसा किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 153C एक विशेष प्रावधान है जो तलाशी के मामलों से संबंधित है और अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी नोटिस अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

प्रतिवादियों का तर्क:-

5. इसके विपरीत, धारा 153A से 153D के अधिनियमन से अधिनियम की धारा 148 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यहां तक कि तलाशी के मामलों में भी विभाग धारा 148 के तहत कार्यवाही कर सकता है। उप आयकर आयुक्त (केंद्रीय) सर्कल 1(2) बनाम मेसर्स एम.आर. शाह लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जो [(2022)14 एस.सी.सी. 101] में रिपोर्ट किया गया है और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सेंट्रल-3 बनाम अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड के मामले में जो [(2023)454 आई.टी.आर. 212 (एस.सी.)] में रिपोर्ट किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या

11850/2019 के निर्णय, जिसका शीर्षक **विजय कुमार मेहता बनाम सहायक आयकर आयुक्त** है और जिस पर 09.09.2019 को निर्णय लिया गया था, जिसके खिलाफ अपील (डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 1451/2019) को 08.07.2020 को खारिज कर दिया गया था, और मद्रास उच्च न्यायालय के **सलोनी प्रकाश कुमार बनाम आयकर अधिकारी, वित्त मंत्रालय, गैर-कॉर्पोरेट, वार्ड- 6(1) और अन्य** के मामले में, जो [(2023) 458 आई.टी.आर. 452 (मद्रास)] में रिपोर्ट किया गया है, पर भरोसा किया गया है।

6. यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करने से धारा 148 अनावश्यक हो जाएगी। इसके अलावा, धारा 153C को छह साल की ब्लॉक अवधि के लिए लागू किया जा सकता है, जबकि वर्तमान मामले में जानकारी सभी छह वर्षों के लिए नहीं है, इसलिए धारा 148 का सहारा लिया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि धारा 153C के तहत तलाशी में जब्त की गई सामग्री के अलावा अन्य सामग्री पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है और कार्यवाही अधिनियम की धारा 148 के तहत शुरू की जानी है।

मुद्दा:-

7. इसमें शामिल प्रश्न तलाशी में सामग्री की जब्ती या उस निर्धारिती के अलावा अन्य निर्धारिती से संबंधित पुस्तकों-दस्तावेजों की मांग के मामले में धारा 153C और 148 की प्रयोज्यता का है, जिस पर तलाशी ली गई थी या मांग की गई थी।

विशेष प्रावधानों का इतिहास:-

8. आगे बढ़ने से पहले, तलाशी और मांग के मामलों में निर्धारण के लिए वर्तमान विशेष प्रावधानों के इतिहास का पता लगाना आवश्यक होगा।

9. वित्त अधिनियम, 1995 ने धारा 158B से 158BG को शामिल किया, जिसमें उन मामलों में निर्धारण के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई थी जहां तलाशी 30.06.1985 के बाद लेकिन 1.1.1997 से पहले शुरू की गई थी। इससे पहले, तलाशी के मामलों में निर्धारण और पुनर्मूल्यांकन धारा 143, 147 और 148 के नियमित प्रावधानों के तहत किया जाता था। विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारण अधिकारी (संक्षेप में 'एओ') को केवल उस ब्लॉक अवधि के संबंध में अघोषित आय का निर्धारण करना

था (जो 01.06.2001 से पहले दस साल और 01.06.2001 के बाद छह साल थी) जिस वित्तीय वर्ष में तलाशी ली गई थी, एक एकल आदेश पारित करके। अघोषित आय पर धारा 113 के तहत निर्दिष्ट विशेष दर पर कर लगाया जाना था। ब्लॉक निर्धारण नियमित निर्धारण से स्वतंत्र था, जिसके परिणामस्वरूप नियमित आय और अघोषित आय के निर्धारण के लिए समानांतर कार्यवाही होती थी।

10. वित्त अधिनियम, 2003 ने धारा 153A से 153D को पेश किया, जिसमें 1 जून, 2003 को या उसके बाद की गई तलाशी या मांग के मामलों में निर्धारण के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई। नए प्रावधानों के तहत पहले की व्यवस्था से निम्नलिखित विचलन किए गए थे:-

(i) 'कुल आय' का निर्धारण/पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक संबंधित पिछले वर्ष के लिए अलग-अलग आदेश पारित करके किया जाना था, बजाय इसके कि अघोषित और नियमित आय के लिए समानांतर कार्यवाही शुरू की जाए।

(ii) खंडित अवधि यानी 1 अप्रैल से तलाशी की तारीख तक के निर्धारण की अवधारणा अब नहीं रही।

(iii) प्रत्येक वर्ष में लागू होने वाली सामान्य कर दरें लागू की जानी थीं।

(iv) तलाशी या मांग शुरू होने की तारीख को लंबित निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही समाप्त हो गई। धारा 153A के तहत निर्धारण/पुनर्मूल्यांकन को रद्द करने के मामले में समाप्त हो चुका निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन फिर से शुरू हो गया।

(v) धारा 153A से 153D के प्रावधानों में न केवल उन निर्धारितियों के मामले शामिल थे जिन पर तलाशी ली गई थी या मांग की गई थी, बल्कि उन निर्धारितियों के भी मामले शामिल थे जिनसे जब्त की गई सामग्री संबंधित थी या उनसे संबंधित थी।

11. वित्त अधिनियम 2021 ने धारा 153A में संशोधन किया और इसकी प्रयोज्यता को 31.03.2021 को या उससे पहले की गई तलाशी और मांग तक सीमित कर दिया। साथ ही, तलाशी और मांग के मामलों के निर्धारण को धारा 148 के दायरे में लाने के लिए एक नया प्रावधान प्रतिस्थापित किया गया। धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने

से पहले पालन की जाने वाली प्रक्रिया धारा 148A में निर्धारित की गई थी। दोनों प्रावधान 1.4.2021 से प्रभावी थे।

12. नई धारा 148 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, एओ को आय पर कर के विचलन का सुझाव देने वाली जानकारी होने के लिए माना जाएगा (i) यदि निर्धारिती की तलाशी या मांग 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद की गई हो या सर्वेक्षण किया गया हो; (ii) जहां एओ, निर्धारित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से संतुष्ट है कि अन्य व्यक्ति से जब्त की गई सामग्री, निर्धारिती से संबंधित है या अन्य व्यक्ति से जब्त की गई या मांगे गए खातों की पुस्तकों या दस्तावेजों में निहित जानकारी निर्धारिती से संबंधित है। धारा 148A का परंतुक ऐसे मामलों के लिए धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया की प्रयोज्यता के लिए एक अपवाद बनाता है।

विश्लेषण:-

13. धारा 153A का शीर्षक तलाशी या मांग के मामले में निर्धारण है। धारा 153A, धारा 139, 147, 148, 149, 151 और 153 के बावजूद, एओ को तलाशी और मांग के मामलों में प्रासंगिक वर्ष या वर्षों और उस पिछले वर्ष से संबंधित छह निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक के लिए एक निर्धारित प्रपत्र और तरीके से आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए बाध्य करता है जिसमें तलाशी ली जाती है (इसके बाद 'प्रासंगिक पिछले वर्ष' के रूप में संदर्भित)।

14. पहले परंतुक के अनुसार कुल आय का निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध में किया जाना है। दूसरा परंतुक यह प्रावधान करता है कि तलाशी या मांग शुरू होने की तारीख को प्रासंगिक पिछले वर्ष से संबंधित लंबित निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा। तीसरे परंतुक के तहत केंद्र सरकार नियमों द्वारा मामलों के वर्ग या वर्गों को निर्दिष्ट कर सकती है जहां एओ प्रासंगिक पिछले वर्षों के लिए निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी नहीं करेगा। परंतुक (2) के अनुसार समाप्त हो चुका निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन इसका अपवाद है। चौथे परंतुक के खंड (क) के तहत, निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा यदि एओ के पास खातों की पुस्तकों या दस्तावेजों या साक्ष्य से पता चला है कि

विचलन की गई निर्धारण राशि प्रासंगिक वर्ष में या प्रासंगिक निर्धारण वर्षों के कुल योग में 50 लाख रुपये से कम है। खंड (ख) यह प्रावधान करता है कि खंड (क) में संदर्भित आय या उसका हिस्सा ऐसे वर्ष या वर्षों के लिए निर्धारण से बच गया होना चाहिए। खंड (ग) यह प्रावधान करता है कि तलाशी या मांग 01.04.2017 को या उसके बाद शुरू की गई होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण (1) प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की व्याख्या करता है। स्पष्टीकरण (2) यह प्रावधान करता है कि चौथे परंतुक में 'परिसंपत्ति' में अचल संपत्ति, भूमि या भवन या दोनों, शेयर और प्रतिभूतियां, ऋण और अग्रिम, बैंक में वित्तीय जमा शामिल होंगे।

उप-धारा (2) उप-धारा (1) के तहत किए गए निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन को अपील या अन्य कानूनी कार्यवाही में रद्द करने की स्थिति से संबंधित है। ऐसी स्थिति में, समाप्त हो चुका निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन ऐसे रद्द करने के आदेश की आयुक्त द्वारा प्राप्ति की तारीख से फिर से शुरू हो जाएगा। परंतुक के अनुसार रद्द करने के आदेश को रद्द करने पर पुनरुद्धार समाप्त हो जाएगा।

15. धारा 153B धारा 153A के तहत निर्धारण को पूरा करने के लिए समय सीमा से संबंधित है।

16. धारा 153C का शीर्षक किसी अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण है। धारा 153C के तहत कार्यवाही धारा 139, 147, 148, 149, 151 और 153 के प्रावधानों के बावजूद होती है। जब्त किए गए पैसे, बुलियन, आभूषण या मूल्यवान वस्तु या चीज, जब्त की गई या मांगी गई खातों की पुस्तकों या दस्तावेजों (संक्षेप में 'जब्त सामग्री') से निपटने वाले एओ के संतुष्ट होने पर कि उसमें निहित जानकारी उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है जिस पर तलाशी ली गई थी, वह जब्त सामग्री को ऐसे अन्य व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र वाले एओ को सौंप देगा। एओ जब्त सामग्री प्राप्त होने पर और संतुष्ट होने पर कि इसका प्रासंगिक पिछले वर्षों की कुल आय के निर्धारण पर असर पड़ता है, नोटिस जारी करेगा ताकि प्रासंगिक पिछले वर्षों की 'कुल आय' का निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन किया जा सके और धारा 153A के अनुसार आगे बढ़ेगा।

17. पहले परंतुक के तहत, धारा 153A की उप-धारा (1) में तलाशी या मांग शुरू होने की तारीख, उस एओ द्वारा जब्त सामग्री प्राप्त होने की तारीख होगी जिसके पास उस अन्य व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र है। दूसरे परंतुक के तहत, केंद्र सरकार अन्य व्यक्तियों के मामलों के वर्ग या वर्गों के लिए नियम बना सकती है जिनके लिए एओ को प्रासंगिक पिछले वर्षों के लिए निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अपवाद समाप्त हो चुका निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन है।

18. उप-धारा (2) के तहत, जिस निर्धारण वर्ष में तलाशी ली गई थी या मांग की गई थी, उस वर्ष के आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख के बाद जब्त सामग्री प्राप्त होने की स्थिति में, ऐसे अन्य व्यक्तियों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला एओ कुल आय का निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए धारा 153A के तहत प्रदान किए गए तरीके और निर्धारण वर्षों के लिए नोटिस जारी करेगा। नोटिस तब भी जारी किया जाएगा जब ऐसे व्यक्तियों द्वारा कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया था और धारा 142(1) के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था या जहां रिटर्न प्रस्तुत किया गया था लेकिन धारा 143(2) के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया था और सीमा समाप्त हो गई थी या जहां निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन किया गया था।

19. उप-धारा (3) के अनुसार, धारा 153C 01.04.2021 को या उसके बाद की गई तलाशी या मांग पर लागू नहीं होगी।

20. धारा 153D यह प्रावधान करती है कि संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा कोई भी निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संयुक्त आयुक्त की पूर्व स्वीकृति न हो। परंतुक उन मामलों में धारा के आवेदन को रोकता है जहां धारा 144BA (12) के अनुसार निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन को प्रधान आयुक्त या आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के साथ पारित किया जाना है।

मामलों का कानून:-

21. सर्वोच्च न्यायालय ने अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में धारा 153A के तहत निर्धारण के दायरे से निपटते हुए निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया। पैरा 11 उद्धृत है:-

"11. वर्तमान अपीलों में विचार के लिए उठाया गया प्रश्न यह है कि क्या पूर्ण हो चुके निर्धारणों/अबाधित निर्धारणों के संबंध में, क्या निर्धारण करने के लिए एओ का अधिकार क्षेत्र धारा 132 के तहत तलाशी या धारा 132A के तहत मांग के दौरान पाई गई आपत्तिजनक सामग्री तक ही सीमित है या नहीं, यानी, क्या अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत तलाशी या धारा 132A के तहत मांग के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलने पर एओ द्वारा कोई अतिरिक्त जोड़ किया जा सकता है या नहीं।"

22. यह माना गया कि किसी निर्धारिती की तलाशी या मांग पर, प्रासंगिक पिछले वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए धारा 153A के तहत नोटिस जारी करना अनिवार्य है। एओ प्रासंगिक पिछले वर्षों की 'कुल आय' का निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करता है। लंबित निर्धारण और पुनर्मूल्यांकन धारा 153A के प्रावधान के संचालन से समाप्त हो जाते हैं। संबंधित निर्धारण वर्षों से संबंधित आपत्तिजनक जब्त सामग्री के अभाव में पूर्ण और अबाधित निर्धारणों को फिर से नहीं खोला जा सकता है। धारा 153A के तहत निर्धारण और पुनर्मूल्यांकन 'कुल आय' का होना चाहिए, जिसमें दाखिल की गई आय (यदि रिटर्न दाखिल किया गया है), तलाशी या मांग के परिणामस्वरूप मिली आपत्तिजनक सामग्री और अन्य सामग्री को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि तलाशी में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है, तो विभाग अधिनियम की धारा 147 और 148 के तहत पूर्ण/अबाधित निर्धारणों को फिर से खोल सकता है। निर्णय का पैरा-23 उद्धृत है:-

"23. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों के मद्देनजर, यह निष्कर्ष निकाला गया है: i) कि धारा 132 के तहत तलाशी या धारा 132A के तहत मांग के मामले में, एओ धारा 153A के तहत ब्लॉक निर्धारण के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करता है; (ii) सभी लंबित निर्धारण/पुनर्मूल्यांकन समाप्त हो जाएंगे; iii) यदि कोई आपत्तिजनक सामग्री मिलती/खोज की जाती है, यहां तक कि अबाधित/पूर्ण हो चुके निर्धारणों के मामले में भी, एओ तलाशी के दौरान मिली आपत्तिजनक सामग्री और एओ के पास उपलब्ध अन्य सामग्री सहित रिटर्न में घोषित आय को ध्यान में रखते हुए 'कुल आय' का निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करेगा; और iv) यदि तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलती है, तो एओ पूर्ण हो चुके निर्धारणों / अबाधित निर्धारणों के संबंध में अन्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि पूर्ण हो चुके/अबाधित निर्धारणों के

संबंध में, अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत तलाशी या धारा 132A के तहत मांग के दौरान मिली किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के अभाव में एओ द्वारा कोई भी अतिरिक्त जोड़ नहीं किया जा सकता है। हालांकि, पूर्ण हो चुके/अबाधित निर्धारणों को अधिनियम की धारा 147/148 के तहत अधिकारों का प्रयोग करके एओ द्वारा फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते अधिनियम की धारा 147/148 के तहत परिकल्पित/उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाए और उन शक्तियों को सुरक्षित रखा गया है।"

निष्कर्ष:-

23. प्रस्तुत मामले में धारा 147/148 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए दिए गए कारण मणिहार ग्रुप की तलाशी के दौरान जब्त की गई आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेजों, जिसमें पेन ड्राइव और कार्यवाही के दौरान दर्ज किए गए बयान शामिल हैं, पर आधारित हैं। प्राप्त जानकारी से एओ ने पाया कि दिए गए ऋण और उस पर अर्जित ब्याज का कोई लेखा-जोखा नहीं था। दूसरे शब्दों में, धारा 148 की कार्यवाही शुरू करने का आधार मणिहार ग्रुप की तलाशी के दौरान जब्त की गई वह सामग्री है जो याचिकाकर्ता से संबंधित है।

24. जिस मामले में तलाशी या मांग की जाती है, उसमें धारा 153A के तहत एओ को प्रासंगिक पिछले वर्षों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारिती को नोटिस जारी करना अनिवार्य है। एओ प्रत्येक निर्धारण के लिए अलग-अलग आदेश पारित करके 'कुल आय' का निर्धारण/पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करता है।

25. उन व्यक्तियों के मामलों में, जिन पर तलाशी नहीं ली गई थी लेकिन उनसे संबंधित सामग्री जब्त या मांग की गई थी, एओ को धारा 153C के तहत आगे बढ़ना होगा। दो पूर्व-आवश्यकताएं हैं कि जिस निर्धारिती पर तलाशी ली गई थी या मांग की गई थी, उससे निपटने वाला एओ, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जब्त सामग्री अन्य निर्धारिती से संबंधित है, उसे ऐसे निर्धारिती का अधिकार क्षेत्र रखने वाले एओ को सौंप देगा। उसके बाद, जब्त सामग्री प्राप्त करने वाले एओ को संतुष्ट होना होगा कि सौंपी गई सामग्री का प्रासंगिक पिछले वर्षों के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय के निर्धारण

पर असर पड़ता है। इन दो शर्तों के पूरा होने पर एओ धारा 153A के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेगा।

26. तलाशी और मांग के मामलों में निर्धारण के लिए धारा 153A से 153D के तहत विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस प्रस्ताव से कोई असहमति नहीं हो सकती है कि विशेष प्रावधान सामान्य प्रावधान पर हावी होगा। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो धारा 153A से 153D के प्रावधानों को धारा 143 और 147/148 के तहत निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन के लिए नियमित प्रावधानों पर प्राथमिकता दी जाएगी।

27. धारा 153A और 153C गैर-बाधा खंड के साथ शुरू होते हैं। तलाशी या मांग के मामलों में धारा 153A, 153C में निर्धारण/पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया का धारा 139, 147, 148, 149, 151 और 153 के तहत निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन के लिए नियमित प्रावधानों पर अतिव्यापी प्रभाव पड़ता है।

28. नई धारा 148 के स्पष्टीकरण 2 की भाषा धारा 153A और धारा 153C के समान है। इसका परिणाम यह है कि धारा 153A से 153D की परिचालन अवधि समाप्त होने के बाद, उसके तहत निपटाए गए मामले नई प्रतिस्थापित धारा 148 के दायरे में आ गए।

29. विभाग ने यह मामला स्थापित नहीं किया है कि धारा 148 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए उसके पास मणिहार गुप की तलाशी के दौरान जब्त की गई सामग्री के अलावा अन्य सामग्री थी। यह तर्क था कि हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अघोषित ऋण से संबंधित सामग्री प्राप्त हुई थी, लेकिन अघोषित ऋण पर ब्याज की कमाई एओ द्वारा प्राप्त सामग्री से निकाली गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि निकाले गए निष्कर्ष पर धारा 153C के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यह तर्क योग्यता में कमी रखता है और तलाशी या मांग के दौरान मिली आपत्तिजनक सामग्री के मामले में 'कुल आय' का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए एकल निर्धारण आदेश की अवधारणा को विफल कर देगा।

30. यह तर्क कि धारा 153A से 153D के अधिनियमन से धारा 148 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, प्रतिवादी के मामले को धारा 148 के तहत कार्यवाही शुरू करने के

लिए मजबूत नहीं करता है। धारा 153C लागू करने के लिए दो शर्तों के पूरा होने पर, कार्यवाही धारा 153A के अनुसार शुरू की जानी है। प्रासंगिक पिछले वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाना है और उसके बाद 'कुल आय' का निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन करना है। यह एओ के लिए सभी वर्षों के लिए निर्धारण करना अनिवार्य नहीं है, पहले पारित किए गए आदेशों को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन एक बार जब आपत्तिजनक सामग्री जब्त या मांग की जाती है जो उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित होती है जिस पर तलाशी ली गई थी, तो धारा 153C का सहारा लेना होगा।

31. मामले का दूसरा पहलू यह है कि धारा 153A और 153C के तहत, 'कुल आय' का निर्धारण किया जाना है। कुल आय में दाखिल की गई आय (यदि कोई हो), तलाशी या मांग के दौरान खोजी गई अघोषित आय और अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी शामिल है।

उदाहरण के लिए:- एक निर्धारिती ने 100 रुपये की आय का रिटर्न दाखिल किया था, तलाशी के दौरान 200 रुपये की अघोषित आय का पता चला और वार्षिक सूचना विवरण से 150/- रुपये की आय के गैर-प्रकटीकरण की जानकारी मिली।

एओ धारा 153A और 153C के तहत 100+200+150 रुपये की आय से संबंधित आदेश पारित करेगा, जिसमें कुल आय 450/- रुपये होगी। उन मामलों में जहां 200/- रुपये की अघोषित आय का पता नहीं चलता है, विभाग धारा 147/148 के तहत कार्यवाही का सहारा ले सकता है।

32. यह तर्क कि धारा 153C को तब लागू किया जा सकता है जब सभी प्रासंगिक पिछले वर्षों के लिए आपत्तिजनक सामग्री हो और अन्यथा धारा 148 का सहारा लेना है, गलत है। धारा 153C के तहत कार्यवाही के लिए दो शर्तों के संतुष्ट होने पर, एओ को धारा 153A के अनुसार आगे बढ़ना होगा। प्रासंगिक पिछले वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाना है और उसके बाद 'कुल आय' का निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन करना है। यह एओ पर सभी वर्षों के लिए निर्धारण करने के लिए बाध्यकारी नहीं है, पहले पारित किए गए आदेशों को स्वीकार किया जा सकता है।

लेकिन एक बार जब आपत्तिजनक सामग्री जब्त या मांग की जाती है जो उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित होती है जिस पर तलाशी ली गई थी, तो धारा 153C का सहारा लेना होगा।

33. निष्कर्ष निकालने से पहले, दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत मामले के कानून से निपटना उचित होगा।

34. प्रतिवादियों का मेसर्स एम.आर. शाह लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (उपर्युक्त) के निर्णय पर भरोसा किसी काम का नहीं है। जिस व्यक्ति पर तलाशी ली गई थी या मांग की गई थी, उससे संबंधित या उसकी जब्त सामग्री के मामले में धारा 147/148 बनाम धारा 153C के प्रावधानों के परस्पर क्रिया का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नहीं था।

35. सर्वोच्च न्यायालय ने अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में धारा 153A के प्रावधानों से निपटते हुए कहा कि तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री जब्त न होने की स्थिति में, विभाग अन्य स्रोतों से प्राप्त सामग्री के आधार पर अबाधित निर्धारण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए असहाय नहीं है और धारा 148 के तहत आगे बढ़ सकता है। यह निर्णय इस तर्क का समर्थन नहीं करता है कि यदि वर्तमान मामले के तथ्यों में धारा 153C का सहारा लिया जाता है तो धारा 148 अनावश्यक हो जाएगी।

36. इस न्यायालय की एकल पीठ ने विजय कुमार मेहता (उपर्युक्त) के मामले में माना कि यदि विभाग ने धारा 153C के तहत कार्यवाही नहीं करने का विकल्प चुना है, तो याचिकाकर्ता को धारा 148 के तहत नोटिस को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश को अभिसार बिल्डवेल पी. लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का लाभ नहीं मिला था। आदेश के खिलाफ अपील को बाद के घटनाक्रमों के मद्देनजर निरर्थक मानते हुए खारिज कर दिया गया था कि निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया था।

37. सलोनी प्रकाश कुमार (उपर्युक्त) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय प्रतिवादियों के लिए कोई मददगार नहीं है। उच्च न्यायालय ने माना कि धारा

153C धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने को नहीं रोकती है। दोनों धाराओं की प्रयोज्यता का क्षेत्र न्यायालय के समक्ष मुद्दा नहीं था।

38. याचिकाकर्ता ने **श्री दिनाकरा सुवर्णा** (उपर्युक्त) के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। पैरा-10 उद्धृत करना प्रासंगिक होगा:-

10. जाहिर है, अधिनियम की धारा 153C के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। इस प्रकार, यह दिमाग का स्पष्ट गैर-अनुप्रयोग है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि डायरी की लेखिका श्रीमती सौम्या शेट्टी की मृत्यु तलाशी की तारीख से पहले हो गई थी। राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया था कि श्री अशोक कुमार चौटा ने एकमुश्त आय पर कर की पेशकश की थी।

39. इसके अलावा, **मेसर्स अदिति कंस्ट्रक्शंस** (उपर्युक्त) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया था। पैरा-9 उद्धृत है:-

"9. हम पाते हैं कि धारा 147 - 148 को लागू करने के लिए अधिकार क्षेत्र की शर्तें पूरी नहीं होती हैं क्योंकि भौतिक तथ्यों का पूरी तरह और सच्चाई से खुलासा करने में कोई विफलता नहीं है। यह विवाद में नहीं है कि दिनांक 11 सितंबर 2015 (प्रदर्शनी एच) के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता ने समर्थक दस्तावेजों के साथ सभी विवरण प्रतिवादी संख्या 1 को प्रस्तुत किए हैं। इसलिए, श्री भंवरलाल जैन (एक तीसरे पक्ष) के बयान के आधार पर विश्वास करने और अनुमान लगाने के कारण, कि संस्थाओं के ऋण नकली या समायोजन प्रविष्टियां थे, को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा, तीसरे पक्ष पर तलाशी के मामले में धारा 153C के विशिष्ट प्रावधान धारा 147 के सामान्य प्रावधानों पर हावी होंगे।"

40. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, धारा 148 के तहत जारी नोटिस और आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाता है। हालांकि, प्रतिवादी कानून के अनुसार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

41. धारा 148 के तहत कार्यवाही शुरू करने की पहली चुनौती के आधार को स्वीकार किया जा रहा है और अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी नोटिस को चुनौती देने के लिए उठाए गए अन्य आधारों पर विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।

42. यह उल्लेख करना उचित होगा कि रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम सुरक्षा थी।

43. तदनुसार, रिट याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है।

(भुवन गोयल), जे.

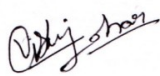
(अवनीश झिंगन), जे.

हिमांशु सोनी/

155-274 और 68

रिपोर्ट करने योग्य:- हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़